289

सं0 115 /XXIV(1)/2015–34/2007

प्रेषक,

डी0 सेंथिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 02 फरवरी, 2015

विषयः सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2076/लेखा–2/13वें वि0अ0/204–15 दिनांक 30–01–2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालन हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सम्पूर्ण धनराशि रू0 46,00,00,000–00 करोड़ **(रूपये छियालीस करोड़ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उक्त धनराशि का उपयोग 31–03–2015 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.3.2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु पूँजीगत पक्ष के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने से पूर्व नियमानुसार आगणन की स्वीकृति सहित वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय। ...2/–

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(8) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0105–तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कियान्वयन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18–03–2014 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डी0 सेंथिल पाण्डियन)
सचिव।

सं0 /XXIV(1)/2015–34/2007/तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।